

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 26/06/2024

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के नवनिर्मित भवन परिसर से गुजरे 220 KV Transmission Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्राक्कलन (Deposit work के आधार पर) की कुल राशि रु0 4,32,53,502/- (चार करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ दो रुपये) मात्र भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल का पत्रांक- E-55329/190 दिनांक 29.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 74/बजट दिनांक 20.06.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, खिजरी के नवनिर्मित भवन परिसर से गुजरे 220 KV Transmission Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्राक्कलन (Deposit work के आधार पर) की कुल राशि रु0 4,32,53,502/- (चार करोड़ बत्तीस लाख तिरपन हजार पाँच सौ दो रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. राशि का विकलन राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष-"मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान , 01- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान,78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड- 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड-2104) के अंतर्गत होगा।

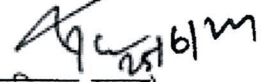
3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी कर दामोदर घाटी निगम, कोलकता, पश्चिम बंगाल के निम्नांकित खाता में उपलब्ध कराया जायेगा।

Name of Bank	PUNJAB NATIONAL BANK
Branch	NEW MANICKTALA BRANCH
Bank Address	P-41, CIT SCHEME VII(M), KAKURGACHI, KOLKATA-700054
IFSC Code	PUNB0008220
DVC A/C TITLE	DAMODAR VALLEY CORPORATION
MICR No.	700027099
DVC'S A/C No	0082250010682

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 74/बजट दिनांक 20.06.2024 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

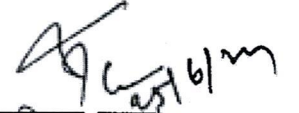
विश्वासभाजन,



(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

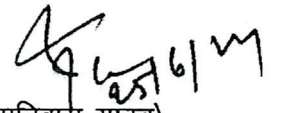
ज्ञापांक-1/यो01-25/2016 (अंश-3) (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक- 26/06/2024
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो01-25/2016 (अंश-3) (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक- 26/06/2024
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/Dy. General Manager (Coml.), Domodar Valley Corporation, Kolkata-700054 (anup.sharma@dvc.gov.in)/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO1-20/2016P3/81/BUDGET

दिनांक - 26-Jun-2024

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796BP010678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना BP - उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान 01-उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान State Scheme State Scheme : Central Scheme :	36599	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान	43,253,502.00 रुपये चार करोड़ बत्तीस लाख तीरपन हजार पाँच सौ दो
	GRANT-IN-AID FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, MODERNIZATION AND FURNISHING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS(2104)			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ बत्तीस लाख तीरपन हजार पाँच सौ दो

43,253,502.00

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR

